

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 154/2020(2020/00367)

1. जितेन्द्र बलाई पुत्र महेन्द्र कुमार बलाई जाति बलाई निवासी दण्ड का रास्ता, पानी की टंकी के पास, बाईपास केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. महेन्द्र कुमार पुत्र उगमचन्द।
 2. श्रीमति आशा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार।
 3. नरेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार।
 4. किरण पुत्री महेन्द्र कुमार।
- समस्त जातिगण बलाई, निवासीगण दण्ड का रास्ता, पानी की टंकी के पास, बाईपास केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील केकडी जिला अजमेर।
 6. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक अधिकारी महोदय, केकडी।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91,92ए,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत:-

वादी वकील :- श्री गोविन्द कुमार सोनी

प्रतिवादी वकील:- श्री मुरलीधर शर्मा

पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 29.8.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91,92,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि करवा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नं. पुराना 813-706 के खसरा संख्या 10046/654, 10049/766, 765 रकबा 0.0875, 0.5600, 0.2300 कुल किता 3, कुल रकबा 0.8775 हैक्टर का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 1.2.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार सावर ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार बलाई (रंग-लाल)	10046/654/1 10049/766/1	0.0175 0.1580	बा.उत्तम बा.प्रथम
		किता 2	रकबा 0.1755	
2	महेन्द्र कुमार पुत्र उगमचन्द आशा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार नरेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार किरण पुत्री महेन्द्र कुमार (रंग-नीला)	10046/654/2 10049/766/2 765	0.0700 0.4320 0.2300	बा.उत्तम बा.प्रथम
		किता 3	कुल 0.7320	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव में वादी का हिस्सा लाल रंग व प्रतिवादीगण का हिस्सा नीला रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी मौके पर अनुपस्थित एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे। वादी व प्रतिवादी दोनों पक्षकार बटवारे से सहमत हैं आदेशिका में हस्ताक्षर करवाये गये। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-


क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार बलाई (रंग-लाल)	10046 / 654 / 1 10049 / 766 / 1	0.0175 0.1580	बा. उत्तम बा.प्रथम
		किता 2	रकबा 0.1755	
2	महेन्द्र कुमार पुत्र उगमचन्द आशा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार नरेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार किरण पुत्री महेन्द्र कुमार (रंग-नीला)	10046 / 654 / 2 10049 / 766 / 2 765	0.0700 0.4320 0.2300	बा. उत्तम बा.प्रथम
		किता 3	कुल 0.7320	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (केकडी)



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उन्वान

1. जितेन्द्र बलाई पुत्र महेन्द्र कुमार बलाई जाति बलाई निवासी दण्ड का रास्ता, पानी की टंकी के पास, बाईपास केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादी

♠ बनाम ♠

1. महेन्द्र कुमार पुत्र उगमचन्द।
2. श्रीमति आशा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार।
3. नरेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार।
4. किरण पुत्री महेन्द्र कुमार।

- समस्त जातिगण बलाई, निवासीगण दण्ड का रास्ता, पानी की टंकी के पास, बाईपास केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक अधिकारी महोदय, केकडी।

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,91,92ए,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 154/2020 (2020/00367)

निर्णय दिनांक:- 29.8.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री गोविन्द कुमार सोनी वकील वादी व मुरलीधर शर्मा पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,91,92ए,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के कस्बा केकडी के खाता संख्या नया-पुराना 813-706 के खसरा संख्या 10046/654, 10049/766, 765 के रकबा 0.0875, 0.5600, 0.2300 हैक्टर के कुल किता 3, कुल रकबा 0.8775 हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 1.2.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार बलाई (रंग-नीला)	10046/654/1	0.0175	बा.उत्तम
		10049/766/1	0.1580	बा.प्रथम
		किता 2	रकबा 0.1755	
2	महेन्द्र कुमार पुत्र उगमचन्द आशा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार नरेन्द्र पुत्र महेन्द्र कुमार किरण पुत्री महेन्द्र कुमार (रंग-नीला)	10046/654/2	0.0700	बा.उत्तम
		10049/766/2	0.4320	बा.प्रथम
		765	0.2300	
		किता 3	कुल 0.7320	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे

वसूला मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.8.2022 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
केकडी (अजमेर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह समूह			स्टाम्प वजह समूह		
महानताना वकील			महानताना वकील		
खर्चो गवाहान			खर्चो गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुताफरिफ			मुताफरिफ		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।